प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

सेवा में,

सलाहकार (न्यायिक–1)
प्रधानपीठ।
मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या– 1160 /20–प्रशा0अधि0–न्याय एवं विधि–NGT/2021 पौड़ी दिनांक जनवरी 04,2022 ।

विषयः– आवेदन संख्या–202/2021 सतीश चन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण में पारित आदेश दिनांक 16.08.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने ई–मेल पत्र दिनांक 18.08.2021 जो कि मूल आवेदन संख्या–202/2021 सतीश चन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण में पारित आदेश दिनांक 16.08.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी बारहस्यूँ पौड़ी, क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण एवं संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, एवं उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई पौड़ी से संयुक्त जांच करवाई गयी।

उपजिलाधिकारी बारहस्यूँ पौड़ी, क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण एवं संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून एवं उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई पौड़ी द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 25.10.2021 निम्नवत् प्रेषित की गयी हैः–

1. ग्राम–नन्दोली पत्रालय बांघाट वाया सतपुली पट्टी–पूर्वी मनियारस्यूँ विकास खण्ड कल्जीखाल तहसील पौड़ी में स्थापित स्टोन हॉट मिक्चर प्लान्ट के0बी0एम0 इन्फ्राबिल्ड, प्रा0लि0 द्वारा संचालित है। मौके पर ग्राम–नन्दोली (बूंगा) के विभिन्न ग्रामवासी 1–श्री प्रीतम नेगी पुत्र श्री सतीश नेगी, 2–श्री दलवीर नेगी पुत्र वीर सिंह, 3–श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री जगत सिंह, 4–श्रीमती बिलोचना देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह, 5–श्रीमती लाजेश्वरी देवी पत्नी श्री वीर सिंह, 6–श्रीमती बिजेश्वरी देवी पत्नी श्री रमेश सिंह, 7–श्रीमती भागेश्वरी देवी पत्नी श्री रतन सिंह, 8–श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री मानसिंह, 9–श्रीमती सतेश्वरी देवी पत्नी श्री वेदप्रकाश, 10–श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री देव सिंह, 11–श्रीमती सुरजी देवी पत्नी श्री लखन सिंह, 12–श्रीमती कान्ती देवी पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह मौके पर उपस्थित थे।
2. ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त प्लान्ट से निकलने वाले धुऐं एवं शोर शराबे से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि उक्त प्लान्ट को बन्द किया जाय अथवा अन्यत्र स्थापित किया जाय।
3. निरीक्षण के समय प्लान्ट संचालित होना नहीं पाया गया, प्लान्ट प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्लान्ट माह–मई व जून 2021 में ट्रायल हेतु संचालित किया गया था, जिसके उपरान्त वर्तमान तक संचालित नहीं किया गया है। मौके पर राजस्व विभाग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उक्त प्लान्ट ग्राम कुण्ड पट्टी पूर्वी मनियारस्यूँ तहसील पौड़ी की सीमान्तर्गत स्थित है एवं मिलानी ग्राम नन्दोली (बूंगा) से प्लान्ट की दूरी 180 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
4. स्थापित प्लान्ट को बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक जलवायु सहमति (सी0टी0ओ0) निर्गत की गयी है। स्थापित प्लान्ट में वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोकथाम हेतु वैट स्कबर की स्थापना की गयी है, साथ ही प्लान्ट में 8 मीटर चिमनी की स्थापना की गयी है, जिसे मानकों के अनुरूप बढ़ाया जाना होगा। इस संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्लान्ट क्रियाशील न होने से मानक अनुसार चिमनी का परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं है।

04/01/22

5. के0बी0एम0 इन्फ्राबिल्ड, प्रा0लि0 द्वारा स्टोन क्रेशर/हॉट मिक्स नीति–2020 में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश दिनांक 21.04.2021 के द्वारा 02 वर्ष की अवधि अर्थात् 20.04.2023 तक प्लान्ट की अनुज्ञा प्रदान की गयी है। अनुज्ञापी द्वारा निकासी गेट पर कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटा स्थापित किया गया है, तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित है, किन्तु अनुज्ञा की लिखित शर्तो के अनुसार प्लान्ट व भण्डारण स्थल के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया है तथा अनुज्ञापी द्वारा वर्तमान समय तक वैब पोर्टल पर क्रस्ट खनिज के क्रय विक्रय किये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तरखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.01.2022 द्वारा अवगत कराया है कि हाटमिक्स प्लान्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में, मै0 के0बी0एम0 इन्फ्राबिल्ड के नाम से पंजीकृत है तथा हाटमिक्स को जल अधिनियम–1974 तथा वायु अधिनियम–1981 की सुसंगत धाराओं के तहत 31.03.2022 तक सहमति निर्गत की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु जलवायु सहमति (सी0टी0ओ) की प्रति संलग्न है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 से निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–1875/VII-A-1/2021/03(101)/2021 दिनांक 11 नवम्बर 2021 उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय III हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के संबंध में आवेदन, अनुज्ञा शुल्क, अनुज्ञा स्वीकृति, नवीनीकरण एवं अन्य शर्तो के बिन्दु संख्या–02 में प्लान्ट को ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा, का उल्लेख किया गया है, किन्तु प्राप्त संयुक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 के अनुसार वर्तमान में हॉट मिक्स प्लान्ट का संचालन न किये जाने का उल्लेख है एवं अनुज्ञाधारक द्वारा वर्तमान तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है।

अतः तद्नुसार उपजिलाधिकारी, पौड़ी के पत्र दिनांक नवम्बर 18, 2021 में संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 25.10.2021 एवं क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तरखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के पत्र दिनांक 04.01.2022 आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

04/01/2022

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-38 /2021–22/3944-1546 दिनांक: 04/01/22

सेवा में,

जिलाधिकारी
पौड़ी गढवाल।

विषय– आवेदन संख्या–202/2021 सतीश चन्दर सिंह बनाम उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 16.08.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक संख्या 1158/20–न्याय एवं विधि–एन0जी0टी0/2020 पौडी दिनांक जनवरी 04, 2022 का अवलोकन करना चाहें। संदर्भित पत्र में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन 202/2021 सतीश चन्दर सिंह बनाम उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 16.08.2021 के अनुक्रम में आप द्वारा गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था। हाटमिक्स प्लांट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में मै0 के0बी0एम0 इन्फ्राबिल्ड के नाम से पंजीकृत है तथा हाटमिक्स को जल अधिनियम–1974 तथा वायु अधिनियम–1981 की सुसंगत धाराओं के तहत 31.03.2022 तक सहमति निर्गत की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर आपके सुलभ संदर्भ हेतु सादर प्रेपित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

UEPPCB

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehra Dun (Uttarakhand)
Web : www.ueppcb.uk.gov.in, E-mail : roueppcb@gmail.com

UKPCB/ROD/CON/P.G.-412/2021-22/ 647 – 96 **Date:** 29/05/21
REGD. POST

To,

M/s KBM Infrabuild Pvt. Ltd.
Village Kund, Patti-PU Maniyarsu
Distt. Pauri Garhwal.

Consolidated Consent to Operate and Authorization hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2) of the "Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as **Water Act, Air Act** and **HW Rules** respectively).

Application No. 1363352 Date: 05.05.2021

CCA is hereby granted to **M/s KBM Infrabuild Pvt. Ltd.** located at **Village Kund, Patti-PU, Maniyarsu, Distt. Pauri Garhwal** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and **HW Rules** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is **granted up to 31.03.2022** and valid for manufacturing of following products with **Capital Investment / Net Assets Values** 0.50 Crs:-

S. No.	Last CTE		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Hr.)
1	-	-	Hot Mix Plant (Bituminous Concrete)	90 MT

2. **Specific Conditions under Water Act:**

(i) **The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-**

	Last CTE	Present CCA (Fresh)
Trade Effluent	-	Nil.
Sewage	-	1.0 KLD

(ii) **Trade effluent treatment and disposal - Nil.**

(iii) **Sewage Treatment and Disposal**: The applicant shall provide comprehensive treatment and disposal facility for the treatment of domestic waste as per norms.

3. **Conditions under Air Act :-**

(i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards :

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity KLD/MTD	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1.	D.G. Set (125 KVA)	3.0	Diesel	-	Natural Draft & Acoustic	-

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under HW Rules :-

(i) Number of authorization and date of issue : ---------------------------

(ii) **The Factory Manager** of **M/s KBM Infrabuild Pvt. Ltd.** is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.

(iii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	-	-	-

(iv) The authorization shall be in force for **31.03.2022**

(v) The authorization is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of authorization:

(i) The authorization shall comply with the provisions of the **Environment (Protection) Act, 1986**, and the rules made there under.

(ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.

(iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.

(iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.

(v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.

(vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.

(vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF or CPCB/SPCB from time to time.

5. This CCA is valid for **Hot Mix Plan** Process only.

6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-**

(i) Annual return in **Form-4** and **Waste Disposal Manifest** in **Form-10** under **HW Rules** and **Third Party Audit Report**.

(ii) Environment Statement in **Form-V** of **Environment (Protection) Rules, 1986.**

(iii) Quarterly **compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.**

7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.

8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

9. **Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.**

Regional Officer (I/c) 29.3.21

Copy to:Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.

Regional Officer (I/c)

Annexure

Specific Conditions:

1. The applicant shall submit audited balance sheet of the unit at the end of each financial year so that fee submitted by the applicant could be assessed.
2. A Solid wastes generated from the industry has to be disposed in manner so that contamination of surface water bodies/ground water/soil etc. does not take place.
3. The industry shall comply with the **Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2016** notified under the **Environment (Protection) Act, 1986** (as amended).
4. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
5. The applicant shall develop green belt within the premises
6. The industry shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of **Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act** and Rules made thereunder.
7. The industry shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
8. Unit shall ensure manifest system in Form-10 of HW Rules while disposing hazardous waste.
9. Hazardous waste should not be stored beyond a period of 90 days.
10. **Unit shall strictly comply with the provisions of the The Public Liability Insurance Act, 1991 as amended and Rules made there under and shall submit copies of Insurance Policies (if any) to the Board Offices regularly.**
11. **Unit shall not use fuel in their manufacturing process or in any subsidiary process which may emit fugitive emission of different nature.**
12. **There should be no effluent discharge outside the unit premises.**
13. **The unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under, so that ambient air quality not exceed to prescribed limit at any time.**
14. **The Stone Crushing Units/Screening Plants/Mobile Stone Crusher/Mobile Screening Plants/Hot Mix Plants/Ready Mix Plants shall strictly follow the Uttarakhand Stone Crushing Units/Screening Plants/Mobile Stone Crusher/Mobile Screening Plants/Hot Mix Plants/Ready Mix Plants Anugya Nitti- 2016 (as amended time to time), promulgated by the State Government.**
15. **This CCA is valid for the Hot Mix Plant only.**
16. **The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.**
17. **The CCA is valid for domestic effluent only. Industrial effluent should not be generated.**
18. **Unit shall ensure to control air quality followed by regular spray water in premises and link road.**
19. **Unit should comply as per the measures given in E(P) Rule-1986 as amended time to time.**
20. **Unit should take all the necessary permission from the concerning Department.**
21. **Unit should operate Air Pollution Control System (Wet Scrubber) continuously during the time of operation and also maintain the appropriate height of chimney.**

General Conditions:

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoE&F and shall report to the UEPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.

3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the **Board**, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP's/ETP's inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
7. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
12. The **Board** reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
13. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the **Board.**
14. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
15. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.
16. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.
17. The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on **Display Board of size 6x4 feet** outside the main factory gate within premises.
18. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
19. The applicant shall maintain record of hazardous waste in **Form-3** and shall submit annual return in **Form-4** on or before the 30th day of June following to the financial year to which that return relates.
20. In case of any accident, complete details in the light of Form-14 of the Hazardous Rules shall be submitted to this Board at the earliest.
21. In no case any hazardous waste shall be disposed off on land, in any drain, or into any water stream. All spillage must also be safely collected and stored.
22. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed **physical and chemical analysis of hazardous waste sample** and report to the **Board.**
23. Dried hazardous sludge from the process in the plant shall be **stored in double lined HDPE pit constructed with R.C.C. or such material which does not react with the waste contained in it.**
24. The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and **'Hazardous'** shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
25. The industry shall store non-ferrous metal waste, used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be **sold only to Registered Recyclers/Re-processors.**
26. In case of any transportation of hazardous waste, the details in **Form-13** of the **Hazardous Rules** shall be submitted to the **Board.**

Regional Officer (I/c)

R-13 04 (वन्य) Rawat 20/11/2021

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
बारहस्यूँ, पौड़ी।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

संख्या– 92 /विविध–2021 दिनांक पौड़ी नवम्बर 18 ,2021

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–202/2021 सतीशचन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 16.08.2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–905/20–न्याय एंव विधि–विविध/2021 दिनांक 05.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–202/2021 सतीशचन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 16.08.2021 में दिये गये निर्देश के कम में ग्राम नन्दोली, पत्रालय बांघाट वाया सतपुली पटटी मनियारस्यूं पूर्वी, विकास खण्ड कल्जीखाल में स्थापित स्टोन हॉट मिक्चर प्लांट जो कि के0बी0एम0 इन्फाबिल्ड, प्रा0लि0 द्वारा संचालित किया जा रहा हैं, से अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित गैस, डस्ट एंव टाक्सिक उत्सर्जित होने से मुकेश राणा पुत्र गणेश राणा के भवन एवं आस–पास का क्षेत्र जो कि प्रश्नगत हॉट मिक्चर प्लॉट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु समिति का गठन करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देश के अनुपालन में तहसील पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम नन्दोली, पत्रालय बांघाट वाया सतपुली, पटटी मनियारस्यूं पूर्वी, विकास खण्ड कल्जीखाल में स्थापित स्टोन हॅाट मिक्चर प्लान्ट जो कि के0बी0एम0 इन्फाबिल्ड, प्रा0लि0 द्वारा संचालित हैं, का समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 25.10.2021 को संयुक्त निरीक्षण किया गया हैं। संयुक्त निरीक्षण मूल में संलग्न हैं। संयुक्त निरीक्षण आख्या के उपरान्त उपनिदेशक /भू–वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई पौड़ी से भी आख्या प्राप्त की गयी। उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक 17.11.2021 से अवगत कराया हैं कि औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1875/VII-A-1/2021-03(101)2021 दिनांक 11.11.2021 के बिन्दु संख्या 26(1) व (2) के अनुसार उक्त शर्तों को पूर्ण किया जाना आवश्यक हैं। उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 21.04.2021 की शर्त संख्या–11 में हॉटमिक्स प्लान्टका संचालन पूर्व में विभागीय ई–रवान्ना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य हैं, परन्तु ~~अनुज्ञाधारक~~ द्वारा वर्तमान तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया हैं। उक्त हॉटमिक्स का वर्तमान में संचालन नहीं किया जा सकता हैं।

अतः उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में सेवा में प्रेषित हैं।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय,

(आकाश जोशी)
उपजिलाधिकारी बारहस्यूं पौड

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दि॰ 25/10/2021 को कार्यालय जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के कार्यालय पत्र संख्या- 905/20- न्याय एवं विधि- विविध/2021 दिनांक 05.10.2021 एवं कार्यालय उपजिलाधिकारी धारसूँ, पौड़ी के आदेश संख्या- 61/विविध- 2021 दिनांक पौड़ी अक्टूबर 16, 2021 के अनुपालन में ग्राम- नन्दोली पत्रालय- बांघाट वाया सतपुली पट्टी- पूर्वी मनियारस्यूँ विकास खण्ड कल्जीखाल में स्थापित स्टोन हॉट मिक्चर प्लांट जो कि के॰ बी॰ एस॰ इन्फ्राबिल्ड, प्रा॰ लि॰ द्वारा संचालित है, का संयुक्त निरीक्षण किया गया.

मौके पर ग्राम- नन्दोली (बुंगा) के ग्रामवासी भी उपस्थित हुए जिनके नाम निम्न से है-

1- प्रीतम नेगी S/o सतीश नेगी
2. दलबीर नेगी S/o बीर सिंह
3. रामेश्वरी देवी W/o जगत सिंह
4. त्रिलोचना देवी W/o वीरेन्द्र सिंह
5. लाजेश्वरी W/o बीर सिंह
6. विजेश्वरी देवी W/o रमेश सिंह
7. भागेश्वरी देवी W/o रतन सिंह
8. संजू देवी W/o मान सिंह
9. सतेश्वरी देवी W/o वेद प्रकाश
10 लक्ष्मी देवी W/o देव सिंह
11. सुरजी देवी W/o लखन सिंह
12. कान्ती देवी W/o कृपेन्द्र सिंह

ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया है. उपरोक्त प्लान्ट से निकलने वाले धुएँ एवं शोर शराबे से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है; ग्रामवासियों का कहना है कि उक्त प्लान्ट को या तो बन्द किया जाये या तो अन्यत्र स्थापित किया जाये.

[signature] [signature] 25/10/21 [signature] 25/10/2021 [signature]

क्रमशः।-

निरीक्षण के समय प्लान्ट संचालित होना नहीं पाया गया है. प्लान्ट प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्लान्ट माह मई व जून 2021 में ट्रायल हेतु संचालित किया गया था. जिसके उपरान्त वर्तमान तक संचालित नहीं किया है।

मौके पर राजस्व विभाग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उक्त प्लान्ट ग्राम-कुण्ड पट्टी-पूर्वी मनियारस्यूं तह. पौड़ी की सीमान्तर्गत स्थित है एवं मिलानी ग्राम-नन्दोली (कुंगा) से प्लान्ट की दूरी 180 मी० से अधिक दूरी पर स्थित है।

स्थापित प्लान्ट को बोर्ड द्वारा 31/03/2022 तक जलवायु सहमति (C.T.O) निर्गत की गई है स्थापित प्लान्ट में वायु प्रदूषण नियन्त्रण की रोकथाम हेतु वैट स्क्रबर की स्थापना की गई है साथ ही प्लान्ट में 8 मी० चिमनी की स्थापना की गई है जिसे मानकों के अनुरूप बढ़ाया जाना होगा।

के०बी०एम० इन्फ्राविल्ड, प्रा० लि० द्वारा स्टोन क्रेशर/हॉट मिक्स नीति-2020 में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय पौड़ी के कार्यालय आदेश दि० 21 अप्रैल 2021 के द्वारा 2 वर्ष की अवधि अर्थात 20/4/2023 तक प्लान्ट की अनुज्ञा प्रदान की गई है, अनुज्ञा की लिखित शर्तों के अनुसार प्लान्ट व भण्डारण स्थल के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया है. तथा अनुज्ञापी द्वारा वर्तमान समय तक विभागीय वेब पोर्टल पर खनिज के क्रय-विक्रय किये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन नहीं किया गया है. अनुज्ञापी द्वारा निकासी गेट पर कम्प्यूटरीकृत धर्म कांटा स्थापित किया गया है सी०सी०टी०वी० कैमरे स्थापित है

दीरेट पट्टी

28/11/24   28/11/24

क्रमशः :-

अतः तद्दानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

Bahuguna	25/10/21	25/10/2021	25/10/2021
(बी० के० बहुगुणा)	(रविन्द्र पुण्डीर)	(बलवीर सिंह नेगी)	(दिनेश कुमार)
सर्वेक्षक	वैज्ञानिक सहा०	रा० अधि०	उपनिदेशक/भू-वैज्ञानिक
भू-तत्व एवं खनिकर्म	उत्तराखण्ड प्रदूषण	प्रभारी अधिकारी	भू-तत्व एवं खनिकर्म
इकाई, पौड़ी	नियंत्रण बोर्ड	तह- पौड़ी	इकाई, पौड़ी
	उत्तराखण्ड, देहरादून	गढ़वाल	

SDO DST 25/10/2021

ग्राम सभा- कुंड, पट्टी- पूर्वी मनियार स्यूं, तहसील- पौड़ी, जिला- पौड़ी गढ़वाल में के० बी० एम० इन्फ्रा बिल्ड प्रा० लि० का हॉटमिक्स प्लांट स्थापित है, जिसके संचालित होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हरेन्द्र सिंह
[illegible]/07/2021

(1) सुखीचन्द
(2) मालचन्द्र [illegible]
(3) [illegible]
(4) सन्तोष सिंह
(5) Naresh
(6) [illegible]

अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम सभा कुण्ड पट्टी पूर्वी मनियारस्यूं, तहसील पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल के के० वी० एम० इन्फ्रा बिल्ड प्रा० लि० का हॉटमिक्स प्लांट स्थापित है, जिसके संचालित होने हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रधान ग्राम सभा दिउसा
[illegible] पौड़ी
मनियारस्यूं पौड़ी गढ़वाल

1. [illegible] ओमप्रकाश पंवाल?
2. दिनेश - Dinesh
3. [illegible]
4. पूजा [illegible]
5. प्रवीन कुमार [illegible]
6. सुभाष [illegible]
7. Chandra Prakash [illegible]
8. हेमचन्द्र सिंह [illegible]
9. जीतेन्द्र नेगी [illegible]
10. मुकेश रावत?
11. सचिन [illegible]
12. मनीष [illegible]
13. कैलाश धारी [illegible]
14. [illegible] [illegible]
15. आलोक [illegible]
16. धर्मेन्द्र [illegible]
17. [illegible]
18. अभिषेक रावत धारी
19. सीमा धारी
20. [illegible] धारी

ग्राम प्रधान
श्रीमती संतोषी रावत
ग्रामसभा - पंचाली
Mob.- 9756788033,
9412909187

कार्यालय :-
अशोक रावत
बनेखखाल, पो0 पुण्डोरी (नैथाणा)
विकासखण्ड, कल्जीखाल
जिला- पौड़ी गढ़वाल

पत्रांक .... दिनांक......................

ग्राम सभा कुण्ड पट्टी पूर्वी मनियारस्यूं, तहसील पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल के के० वी० एस० इन्फ्रा बिल्ड प्रा० लि० का हॉटमिक्स प्लांट स्थापित है। जिसके संचालित होने पर हमें कोई भी आपत्ति नहीं है।

संतोषी रावत

सुशीला देवी

1. मुकेश सिंह
2. Dharmendra Singh
3. सरिता देवी (उरमाणी)
4. नरेश मदन सिंह रावत
5. एस० पी० बुगयाल विलोपित
6. मनोज सिंह ग्राम तुटखी
7. श्री धनपाल सिंह बिष्ट, ग्रा० ... श्री धनपाल सिंह
8. जगत सिंह

ग्राम पंचायत बिलखेत

श्रीमति सुमित्रा देवी
ग्राम प्रधान

ग्राम – बिलखेत, पो०-बांघाट
ब्लाक–कल्जीखाल जिला –पौड़ी गढ़वाल
(उत्तराखण्ड) पिन कोड- 246172
फोन – 9119056652, 9411124914

पत्रांक .... दिनांक ....

ग्राम सभा बिलखेत पट्टी पूर्वी असवालस्यूं, तहसील पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल के के० बी० एम० इन्फ्रो बिल्ड प्राइवेट लि० का हॉटमिक्स प्लांट स्थापित है। जिसके संचालित होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रधान ग्राम पंचायत बिलखेत
विकास खण्ड कल्जीखाल पौड़ी गढ़वाल

ग्राम सभा कुण्ड पट्टी पूर्वी मनियारस्यूँ, तहसील पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल के के० बी० एस० इन्फ्रा बिल्ड प्रा० लि० का हॉट मिक्सर प्लान्ट स्थित है, जिसके संचालित होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

1. केशवानन्द [signature]
2. देव सिंह देव सिंह
3. रमेश चन्द्र रमेश चन्द्र
4. गजेन्द्र प्रसाद गजेन्द्र प्रसाद
5. जीवन सिंह जीवन सिंह
6. सुदामा सुदामा
7. रोशन लाल रोशन लाल
8. देवराज देवराज
9. सुनील सुनील
10. सुरेन्द्र सिंह सुरेन्द्र सिंह

अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम सभा कण्डे पट्टी पूर्वी मनियारस्यू, तहसील पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल के के० वी० ग्राम० इ-फ्रा-बिल्ड प्रा० लि० का हाटमिक्स प्लांट स्थापित है जिसके संचालित होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम सभा कुण्ड पट्टी पूर्वी गगवाड़स्यूं तहसील पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल के के० वी० एस० इ० बिल्ड प्रा० लि० को रेडीमिक्स प्लांट स्थापित व उसके संचालित होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

7/7/21